**कार्यालय आयुक्त,**
**गन्ना एवं चीनी, उत्तर प्रदेश**
**17 न्यू बेरी रोड, डालीबाग, लखनऊ।**

**पत्र संख्या– 324 /सी/प्राधि.** **दिनांक 22 नवम्बर, 2017**

**समस्त क्षेत्रीय उप गन्ना आयुक्त/अध्यक्ष,**
**क्षेत्रीय गन्ना सेवा प्राधिकरण,**
**उत्तर प्रदेश।**

**विषयः उ.प्र. सहकारी गन्ना सेवा नियमावली, 1975 के प्रावधानों के अन्तर्गत क्षेत्रीय,जिला एवं जोनल गन्ना सेवा प्राधिकरणों की निर्धारित समयावधि के अन्तर्गत बैठक आहूत किये जाने के सम्बन्ध में।**

उपर्युक्त विषयक आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए अवगत कराना है कि, उ.प्र. सहकारी गन्ना सेवा नियमावली 1975 के नियम 37 (ए) व 37 (बी) में प्राधिकरणों की बैठक के सम्बन्ध में निम्न व्यवस्था दी गयी है:

**Rule: 37 (a) Notice of meeting and fixation of date.**

Notice of meeting of zonal/Distt./regional of state cane service authority, as the case may be, shall specify the day, hour and place and the agenda of the meeting shall be sent by post under certificate of posting or by special messenger on postal address of the member concerned.

Non- receipt of notice by member would, no case, render the proceedings of meeting invalid not they could be questioned. However the notice for the meeting would be required to be dispatched 7(seven( days in advance in case of ordinary meeting and 3(three) days in advance in case of emergent meeting, date of posting and date of meeting should be excluded.

**37(b)** Secretary of the service authority with permission of its Chairman, shall call for the meeting, the same could also be called on written request of two members of the concerned authority. However it would be mandatory to hold a meeting either every three months.

उपर्युक्त के सम्बन्ध में यह तथ्य संज्ञान में लाया गया है कि उ.प्र. सहकारी गन्ना सेवा नियमावली, 1975 के उक्त प्रावधानों के अन्तर्गत निर्धारित समय में जोनल/जिला/क्षेत्रीय गन्ना सेवा प्राधिकरणों की बैठकें आहूत नहीं की जा रही हैं, जिसके कारण कर्मचारियों के सेवा सम्बन्धी प्रकरणों का निस्तारण अनावश्यक रूप से लम्बित रहता है। यह स्थिति अत्यन्त खेदजनक है।

अतः उक्त के आलोक में निर्देशित किया जाता है कि, उ.प्र. सहकारी गन्ना सेवा नियमावली, 1975 के नियम 37 (ए) व 37 (बी) में दी गयी व्यवस्था का अक्षरशः अनुपालन करते हुए नियत समयान्तराल पर क्षेत्रीय/जिला एवं जोनल गन्ना सेवा प्राधिकरणों की बैठकें आहूत करना/कराना सुनिश्चित करें। यदि इसके उपरान्त भी सेवा नियमावली में निर्धारित उक्त व्यवस्था का उल्लंघन किये जाने का तथ्य संज्ञानित होता है तो उसे गम्भीरता से लिया जायेगा।

**(संजय आर. भूसरेड्डी)**
आयुक्त,
गन्ना एवं चीनी, उ.प्र.।

**पृष्ठांकन संख्याः /सी/प्राधि. तद्दिनांक–**

प्रतिलिपि निम्नांकित को इस निर्देश के साथ कि अपने से सम्बन्धित प्राधिकरण की बैठकों के सम्बन्ध में उ.प्र. सहकारी गन्ना सेवा नियमावली, 1975 में दी गयी उक्त व्यवस्था का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करें:

1. गन्ना आयुक्त एवं अध्यक्ष, राज्य गन्ना सेवा प्राधिकरण,उ.प्र.।
2. समस्त जिला गन्ना अधिकारी/अध्यक्ष, जिला गन्ना सेवा प्राधिकरण,उ.प्र.।
3. समस्त ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक/अध्यक्ष, जोनल गन्ना सेवा प्राधिकरण,उ.प्र.।
4. समस्त सचिव, सहकारी गन्ना समितियां, उ.प्र.।
5. श्री धीरेन्द्र सिंह, सदस्य, राज्य गन्ना सेवा प्राधिकरण,उ.प्र.।

**(संजय आर. भूसरेड्डी)**
आयुक्त,
गन्ना एवं चीनी, उ.प्र.।